

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैदिकी विभाग

पत्रांक : वि.प्रा.(III) ब^३-12/2016-

/पटना, दिनांक :

प्रेषक,

अनुल सिन्हा,

निदेशक,

सेवा में,

प्राचार्य,

एम.आई.टी. मुजफ्फरपुर/बी.सी.ई. भागलपुर/ मोतिहारी अभियंत्रण महाविद्यालय, मोतिहारी/दरभंगा अभियंत्रण महाविद्यालय, दरभंगा / गया अभियंत्रण महाविद्यालय, गया/लोकनायक जयप्रकाश प्रौद्योगिकी संस्थान, छपरा/ बख्तियारपुर अभियंत्रण महाविद्यालय, बख्तियारपुर (पटना)/कटिहार अभियंत्रण महाविद्यालय, कटिहार/राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर अभियंत्रण महाविद्यालय, बेगुसराय एवं विशेष कार्य पदाधिकारी, शेरशाह अभियंत्रण महाविद्यालय, सासाराम

विषय : वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय बजट के "मुख्यशीर्ष 2203-तकनीकी शिक्षा, उपमुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष-112-इंजिनियरी/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान, मांग संख्या-43, उपशीर्ष-0001, स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम" (विपत्र कोड-43-2203001120001) के अधीन प्रथम एवं अंतिम किस्त का आवंटन।

महाशय,

निदेशानुसार, वित्तीय वर्ष 2017-18 में विषयांकित बजटशीर्ष के अधीन वेतन तथा अन्य विषयशीर्षों में उपबंधित राशि से दिनांक 31 मार्च 2018 तक नियमानुसार व्यय हेतु विभागान्तर्गत अभियंत्रण महाविद्यालयों यथा एम.आई.टी. मुजफ्फरपुर/बी.सी.ई. भागलपुर/ मोतिहारी अभियंत्रण महाविद्यालय, मोतिहारी/दरभंगा अभियंत्रण महाविद्यालय, दरभंगा/ गया अभियंत्रण महाविद्यालय, गया/लोकनायक जयप्रकाश प्रौद्योगिकी संस्थान, छपरा/ बख्तियारपुर अभियंत्रण महाविद्यालय, बख्तियारपुर (पटना)/ कटिहार अभियंत्रण महाविद्यालय, कटिहार/राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर अभियंत्रण महाविद्यालय, बेगुसराय एवं शेरशाह अभियंत्रण महाविद्यालय, सासाराम को प्रथम एवं अंतिम किस्त के रूप में कुल रु. 27,08,38,000=00 (सताईस करोड़ आठ लाख अड़तीस हजार रुपये) मात्र का आवंटन संलग्न विवरणी के अनुसार प्रदान किया जाता है।

2. संबंधित महाविद्यालय (संस्थान) अपने नाम के स्तम्भ में अंकित विषयशीर्षवार आवंटित राशि की सीमा तक व्यय करेंगे।

3. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-2561 दिनांक 17.04.1998 एवं पत्रांक- 428, दिनांक 31.03.2017 के आलोक में दिया जा रहा है। अतएव उक्त परिपत्रों तथा वित्त विभाग के अन्य सुसंगत परिपत्रों में निहित दिशा-निर्देशों का अनुपालन निकासी एवं व्ययन के पूर्व निश्चित रूप से किया जाय।

4. वित्तीय वर्ष 2017-18 के आवंटन आदेश के प्रत्याशा में माह मार्च, 2017 एवं अप्रैल 2017 के लिए पदाधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन विस्तृत शीर्ष के भत्ते विषयशीर्षों में निकासी की गई राशि का सामंजन इस आवंटन आदेश से की जायेगी।

5. उक्त आवंटित राशि से न्यायालय से आच्छादित किसी भी तरह के मामलों का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार किया जा सकेगा।

6. संस्थानों में प्रोग्राम एवं डाटा इन्फ्री ऑपरेटर के सृजित पद के विरुद्ध बेल्ट्रॉन द्वारा उपलब्ध कराये गये संविदा के आधार पर कार्यरत कर्मियों को अनुबंधित अवधि तक उनके द्वारा सम्पादित कार्यों के लिए निर्धारित दर से पारिश्रमिक का भुगतान 28 02 संविदा सेवाएं विषयशीर्ष में आवंटित राशि से नियमानुसार किया जा सकेगा।

7. संस्थानों में शिक्षकों एवं तकनीकी/प्रशासनिक सहायक कर्मियों के रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मियों को उनके द्वारा सम्पादित कार्यों के लिए निर्धारित दर से पारिश्रमिक का भुगतान 28 02 संविदा सेवाएं विषयशीर्ष में आवंटित राशि से नियमानुसार किया जा सकेगा।

8. संस्थानों में रिक्त पदों पर संस्थानों द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित योग्यता एवं अर्हता धारित चयनित अतिथि सहायक प्राध्यापकों तथा योग्य अर्हता धारित चयनित अतिथि अनुदेशकों/प्रयोगशाला सहायकों को उनके द्वारा सम्पादित व्याख्यानों/प्रायोगिक/सात्रिक के लिए विभागीय संकल्प

संख्या-707, दिनांक 23.3.2017 द्वारा निर्धारित दर से पारिश्रमिक का भुगतान 28 02 संविदा सेवाएं विषयशीर्ष में आवंटित राशि से नियमानुसार किया जा सकेगा।

9. उक्त आवंटित राशि से दूसरे विषयशीर्षों में अपवर्तन कदापि नहीं किया जाय। यदि किसी विषयशीर्ष में राशि का व्यय संभावित नहीं हो तो उक्त विषयशीर्ष में आवंटित राशि का यथाशीघ्र सकारण प्रत्यर्पण कर विभाग को वापस लौटा दिया जाय।

10. यदि किसी विषयशीर्ष में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता हो तो पूर्ण एवं विस्तृत औचित्य के साथ राशि की माँग हेतु अनुरोध किया जाय।

11. विभिन्न विषयशीर्षों से राशि की निकासी हेतु विपत्रों के उपस्थापन के क्रम में कृपया यह सुनिश्चित किया जाय कि विपत्रों पर विपत्र कोड/मुख्यशीर्ष/उपमुख्यशीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/मांग संख्या/कूट संख्या सहित विषयशीर्षों के नाम का सुस्पष्ट उल्लेख रहे ताकि महालेखाकार, बिहार, पटना के कार्यालय में विपत्रों के पोस्टिंग में सुविधा हो सके।

12. स्वीकृत्यादेश/आवंटनादेश तथा विपत्रों में कोड संख्या अनिवार्य रूप से अंकित करने के संबंध में वित्त विभाग के पूर्व प्रेषित पत्रांक 280/वि. दिनांक 29.03.2003 में अंकित दिशा-निर्देश का अक्षरशः अनुपालन किया जाय।

13. व्यय विवरणी टी.भी. नं. एवं तिथि सहित प्रत्येक माह के 7(सात) तारीख तक महालेखाकार, बिहार, पटना तथा अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय।

14. इसमें प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

अनुलग्नक : यथावर्णित।

1(एक) पृष्ठ में।

विश्वासभाजन

ह०/ —

(अतुल सिन्हा)
निदेशक

ज्ञापांक : वि.प्रा.(III) ब³-12/2016-

/पटना, दिनांक :

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले. एवं हक.), बिहार, पटना/ महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/ वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक : यथावर्णित।

1(एक) पृष्ठ में।

ह०/ —

निदेशक

ज्ञापांक : वि.प्रा.(III) ब³-12/2016-

/पटना, दिनांक :

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, राजकीय कोषागार, मुजफ्फरपुर/भागलपुर/मोतिहारी/दरभंगा/गया/ सारण (छपरा)/बाढ़ (पटना)/कटिहार/बेगुसराय/सासाराम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक : यथावर्णित।

1(एक) पृष्ठ में।

ह०/ —

निदेशक

ज्ञापांक : वि.प्रा.(III) ब³-12/2016-

02.6.17

/पटना, दिनांक : 18-5-2017

प्रतिलिपि : प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग (लि.) कं., विद्युत भवन, बेली रोड, पटना / उप निदेशक (यो.)/ आई.टी. मैनेजर (ई-मेल एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु)/एक अतिरिक्त प्रति गार्ड फाईल में संधारण हेतु (निर्गत शाखा), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक : यथावर्णित।

1(एक) पृष्ठ में।

A
18-5-2017
निदेशक

18-5-2017

